प्रेषक,

कृष्ण कुमार गुप्त,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी, वाराणसी, मिर्जापुर, इलाहाबाद, प्रतापगढ़, बांदा, हमीरपुर, देवरिया, बस्ती, सिद्धार्थनगर, आजमगढ़, मऊ, फैजाबाद, अम्बेडकरनगर, बहराइच, गोण्डा, कानपुर, झांसी, जालौन (उरई), लखनऊ, लखीमपुरखीरी, बरेली, पीलीभीत, शाहजंहापुर, आगरा, रामपुर, मेरठ, एवं मैनपुरी।

दुग्ध विकास अनुभाग लखनऊ:दिनांक- 21 मार्च, 2016

विषय-वित्तीय वर्ष 2015-16 में दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम एवं वित्तीय स्वीकृति (जिला योजना-एस0सी0पी0) अनुदान सं0-83

महोदय,

उपर्युक्त विषयक दुग्ध आयुक्त के पत्रांक-646/दुग्ध-4/नियो0/तक0निवेश-एससीपी(182)/2015-16, दिनांक-15 मार्च, 2016 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा दुग्ध विकास विभाग के अन्तर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से प्रदेश के जनपदों में सहकारी दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादक/सदस्यों को दुग्ध विकास कार्यक्रम के माध्यम से लाभान्वित कराने, इनकी आर्थिक स्थिति में उत्थान करने के लिए तकनीकी निवेश योजना चलाये जाने हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में स्पेशल कम्पोनेट प्लान योजनान्तर्गत आय-व्ययक में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 120.00 लाख के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में शासनादेश संख्या-1019/53-15-2(38)/15, दिनांक-15.05.15 द्वारा 50 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 60.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति जारी की गयी थी। दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश कार्यक्रम योजना के अन्तर्गत चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 60.00 लाख (रू0 साठ लाख मात्र) को द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृति **संलग्नक-क** के अनुसार सम्बन्धित दुग्धशाला विकास अधिकारी/उप दुग्धशाला विकास अधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी के निर्वतन पर निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) यह धनराशि अनुसूचित जाति लाभार्थियों के लिए एस0सी0पी0/टी0एस0पी0 मानक के अनुरूप व्यय की जायेगी।

(2) यह धनराशि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में चालू योजना के अधीन अनुसूचित जातियों के लाभार्थियों के लिए अनुदान व्यय हेतु है।

(3) जिन मदों में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्त पुस्तिका के अधीन शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/सहमति आवश्यक है, उनमें धनराशि व्यय करने के पूर्व अनिवार्य रूप से शासन/सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाय।

(4) उक्त धनराशि जिला योजना हेतु आवंटित परिव्यय में समायोजित होगी। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय सम्बन्धित शासनादेश/संगत नियमों में

.....2/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

उल्लिखित शर्तो व प्रतिबन्धों के अधीन किया जायेगा। व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता के लिये सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारी/धनराशि का उपयोग करने वाले इकाई प्रभारी व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार होंगे। किसी भी प्रकार की विचलन की स्थिति में भी वे स्वयं ही जिम्मेदार होंगे।

(5) एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग मात्र अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के सदस्यों से गठित/पुर्नगठित समितियों पर ही किया जायेगा।

(6) उक्त स्वीकृत धनराशि में से अनुरक्षण मद में कोई धनराशि व्यय नहीं की जायेगी। यदि किसी अनुरक्षण मद पर कोई व्यय आवश्यक हो तो, सम्बन्धित दुग्ध संघ/समितियां अपने संसाधन से वहन करेंगे।

(7) इस योजना में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लघु सीमान्त कृषकों को लाभान्वित कराते हुए पशु प्रजनन कार्यक्रम, पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं प्रचार-प्रसार कार्यक्रम संचालित किये जायेगे।

(8) दवाओं आदि का क्रय निर्धारित प्रक्रिया व मानकों के अनुसार ही किया जायेगा।

(9) भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान तथा अनुसूचित जाति के उपयोगिता के लिए निर्धारित मानकों/दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाय।

(10) धनराशि का आहरण करने तथा सम्बन्धित दुग्ध संघ को उपलब्ध कराने के बाद स्वीकृत धनराशि का निर्धारित प्रयोजन पर उपयोग सुनिश्चित कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र दुग्ध आयुक्त को यथा समय उपलब्ध कराने का दायित्व सम्बन्धित प्रबन्धक/सामान्य प्रबन्धक, दुग्ध संघ एवं उप दुग्धशाला विकास अधिकारी का होगा।

(11) यह भी शर्त है कि एतदद्वारा स्वीकृत धनराशि का आहरण तथा उसके उपयोग के सम्बन्ध में आहरण अधिकारी के लेखे-बही खाते एवं सम्बन्धित दुग्ध संघो के लेखे एवं बही खाते भारत के नियन्त्रक एवं महा लेखा परीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारियों के अवलोकनार्थ/परीक्षणार्थ उपलब्ध रहेंगे।

(12) प्रश्नगत धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में कर लिया जायेगा और धनराशि किसी भी स्तर पर बैंक खाते/पी0एल0ए0/डाक घर में नहीं रखी जायेगी।

2- उर्पयुक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक की अनुदान संख्या-83 के अधीन लेखा शीर्षक-**''2404-डेरी विकास-आयोजनागत-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-04-दुग्ध उत्पादकों को तकनीकी निवेश सुविधा (जिला योजना)-27-सब्सिडी''** के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनांक-30.03.2015 द्वारा प्रतिनिधानित वित्तीय अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(कृष्ण कुमार गुप्त)
विशेष सचिव।

.....3/-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1111(1)/53-2016, तददिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- दुग्ध आयुक्त, दुग्धशाला विकास विभाग, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा प्रथम/आडिट प्रथम) उ0प्र0, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ आडिट आफीसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महा लेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद।
5- प्रबन्ध निदेशक, पी0सी0डी0एफ0लि0, 29-पार्करोड, लखनऊ।
6- सम्बन्धित मण्डलायुक्त।
7- सम्बन्धित जिलाधिकारी।
8- सम्बन्धित मुख्य विकास अधिकारी।
9- सम्बन्धित कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी।
10- सम्बन्धित क्षेत्रीय दुग्धशाला विकास अधिकारी, दुग्धशाला विकास उ0प्र0।
11- सम्बन्धित इकाई प्रभारी, दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, उ0प्र0।
12- वित्त नियन्त्रक, दुग्धशाला विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
13- वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-2/नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-3
14- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ), उ0प्र0 शासन।
15- सम्बन्धित मण्डलीय उपनिदेशक, अर्थ एवं संख्या प्रभाग, उ0प्र0।
16- सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी।
17- वेबमास्टर, दुग्धशाला विकास विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ को विभागीय वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।
18- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कमल किशोर गुप्त)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।